संख्या 19/116/2024-कार्मिक (वेतन)(भाग)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 30 जून/31 दिसंबर को केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशनरी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ क्रमश: 1 जुलाई/1 जनवरी को कल्पित वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622(ई) के माध्यम से अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2006 के नियम 10 के अनुसार, वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 से एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई कर दी गई थी। तत्पश्चात, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 721(E) के माध्यम से अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 (1) के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि वेतन वृद्धि प्रदान करने की दो तिथियां अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई होंगी।

2. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 15732/2017-पी. अय्यम्पेरूमल बनाम भारत संघ बनाम अन्य में अपने दिनांक 15.09.2017 के आदेश में पेंशनरी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता को सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन कल्पित वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति दी। श्री पी. अय्यम्पेरूमल के मामले में निर्णय को व्यक्तिबंधी (पर्सोनम) रूप से लागू किया गया था। इसके बाद, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को 30 जून/31 दिसंबर को अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों से ऐसे ही समान लाभ का दावा करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस विषय पर माननीय प्रशासनिक अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में न्यायालयी मामले भी दायर किए गए हैं।

3. इस मुद्दे की जांच संबंधित नोडल प्राधिकारियों के परामर्श से और मूल नियमों (एफआर) में प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्रदान करने को विनियमित करते हैं। यह ध्यान रखना समीचीन है कि एफआर 9(21)(क) 'वेतन' को एक सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में धारित पद अथवा जिसका वह एक संवर्ग में अपने पदस्थिति के कारण हकदार है, के लिए स्वीकृत राशि के रूप में परिभाषित करता है। एफआर 17 में प्रावधान है कि इन नियमों में विशेष रूप से किए गए किसी अपवाद के अध्यधीन, एक कर्मचारी उस तिथि से उस पद के अपने कार्यकाल से जुड़े वेतन और भत्ते आहरित करना शुरू करेगा, जब वह उस पद के कर्तव्यों को संभालता है और जैसे ही वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देता है, उसे आहरित करना बंद कर देता है। इसके अलावा, एफआर 24 में यह प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण अच्छा नहीं रहा है अथवा उसका काम संतोषजनक नहीं रहा है, तो उसकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। इन नियमों के प्रावधानों को संक्षेप में उल्लिखित करें तो, वेतन वृद्धि की तारीख पर इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को सेवा में होना चाहिए, उसने संतोषजनक कार्य किया हो तथा अर्हक सेवा अवधि के दौरान उसने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो।

4. हालाँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 की अपील संख्या 2471/2023 (@एसएलपी(सी) संख्या 6185/2020)- निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), के.पी.टी.सी.एल. बनाम सी.वी. मुंडिनामणि एवं अन्य के मामले में दिनांक 11.04.2023 के अपने आदेश द्वारा रिट अपील संख्या 4193/2017 में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा है, जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने के प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि से पिछले एक वर्ष के दौरान अच्छे आचरण और कुशलता से सेवाएं देने के लिए उनकी सेवा के अंतिम दिन एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति दी गई थी हालाँकि, उक्त मामले में भारत सरकार पक्षकारों में शामिल नहीं थीं।

5. इसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.05.2023 के आदेश के तहत, इस विषय वस्तु पर रेल मंत्रालय द्वारा दायर एसएलपी (सी) संख्या 4722/2021 (भारत सरकार बनाम एम. सिद्धराज) को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि इसमें दायर अपीलें वर्ष 2023 के सीए संख्या 2471 में जारी दिनांक 11.04.2023 के आदेश द्वारा पूरी तरह से कवर

की गई हैं। रेल मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विविध आवेदन (एमए संख्या 2400/2024) दायर किया जिसमें दिनांक 19.05.2023 के अपने आदेश को लागू करते समय अपनाए जाने वाली कार्य-रीति के बारे में मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण मांगा गया। 22.07.2024 को मामले की सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि भारत सरकार के विद्वान अधिवक्ता इस बात की जांच करेंगे कि क्या भारत सरकार को सी.ए. संख्या 2471/2023 में आवेदन दायर करने की आवश्यकता है, जिसका निपटारा दिनांक 11.04.2023 के निर्णय द्वारा किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संबंध में उचित कानूनी परामर्श के बाद, इस विभाग ने 12.08.2024 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका (वि.सं. 36418/2024) दायर की, जिसमें 11.04.2023 के उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग की गई, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

6. इस बीच, 06.09.2024 को, रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर एम.ए. संख्या 2400/2024 और उसके साथ जुड़े कई मध्यक्षेप आवेदनों पर सुनवाई करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा दायर लंबित याचिका (डी.वाई. संख्या 36418/2024) का संज्ञान लिया, जिसमें मामले में सी.ए. संख्या 2471/2023 में 11.04.2023 के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। यह देखते हुए कि जहां तक सी.ए. संख्या 2471/2023 में 11.04.2023 के निर्णय की तृतीय पक्ष पर लागू होने की तिथि का संबंध है, वहां आवेदनों में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, माननीय न्यायालय ने आगे किसी भी मुकदमेबाजी और भ्रम को रोकने के लिए अंतरिम आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

क. दिनांक 11.04.2023 का निर्णय तृतीय पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी। 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन (आदेश में गलती से 31.04.2023 के रूप में उल्लेखित) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख. जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश, पूर्वन्याय के रूप में कार्य करेंगे, और तदनुसार, एक वेतन वृद्धि के साथ बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा।

(ग) जहां निर्णय अंतिम रूप नहीं ले पाया है वहां (ख) में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले जहां अपील की गई है, या यदि दायर की गई है, तो अपीलीय अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाए।

घ. यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या 3933/2023 या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप/अभियोग के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया गया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदन दायर किया गया था,

यह अंतरिम आदेश इस न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालाँकि, कोई भी व्यक्ति जिसने बकाया सहित बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर ली है, वह (क), (ग) और (घ) में दिए गए निर्देशों से प्रभावित नहीं होगा।

दिनांक 04.11.2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करें"।

7. इस मामले की जांच व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से की गई है। यह सलाह दी जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2024 के ऊपर संदर्भित आदेश के अनुसरण में, 1 जुलाई/1 जनवरी को केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाए, जो वेतन वृद्धि की देय तिथि से एक दिन पहले अर्थात 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए/सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित योग्यता सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, 1 जनवरी/1 जुलाई को कल्पित वेतन वृद्धि के अनुदान की गणना केवल स्वीकार्य पेंशन के उद्देश्य से की जाएगी, न कि अन्य पेंशन संबंधी लाभों की गणना के उद्देश्य से।

8. इस पर भी ध्यान दिया जाए कि ये अनुदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2024 के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में विविध आवेदन डायरी सं. 2400/2024 में जारी किए जा रहे हैं, जो कि इस मामले में भारत संघ के कानूनी रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संबंध में कानून में किसी भी बदलाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं। इसके अलावा, कृत कार्रवाई, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित समीक्षा याचिका (डायरी

संख्या 36418/2024) के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी, जिस पर सुनवाई, दिनांक 04.11.2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने की आशा है।

9. इसे व्यय विभाग के दिनांक 08.10.2024 के डायरी सं. 08-09/2019-ई.III.ए(वॉल्यूम III) (3969602) और विधिक कार्य विभाग के दिनांक 30.09.2024 के कंप्यूटर डायरी सं. ई 128445 की सहमति से जारी किया जाता है।

14.10.2024

(महेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या 011-23094542

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. महासचिव, उच्चतम न्यायालय, भारत।
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
4. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग), जेसीए/प्रशासन अनुभाग।
6. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
7. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभाग परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।

14.10.2024

(महेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या 011-23094542